राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

क्रमांकः एफ.8(26)आ.प्र. एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/12103-109 जयपुर, दिनांक 13/10/2022

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या– 60/2022–23

मानसून वर्ष 2022 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांध/नहर की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु जिला कलक्टर, **सिरोही** से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 1045 दिनांक 22.09.2022 के आधार पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के प्रावधान अनुसार जिला कलक्टर **सिरोही** को अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही तह. सिरोही के 04 कार्यो हेतु राशि रूपयें 19.86 लाख, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही तह. रेवदर के 10 कार्यो हेतु राशि रूपयें 35.10 लाख, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही तह. आबूरोड़ के 04 कार्यो हेतु राशि रूपयें 6.60 लाख, अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही तह. पिण्डवाड़ा के 05 कार्यो हेतु राशि रूपयें 10.68 लाख, **कुल 23 कार्यो की मरम्मत हेतु राशि रूपये 72.24 लाख (बहतर लाख चौबीस हजार मात्र)** की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1 स्वीकृतियां जारी करते समय राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के मापदण्डों का अक्षरशः पालन किया जावेगा।
2 बजट सम्बन्धित कार्यकारी संस्था को न किया जाकर जिला कलेक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. जिला कलक्टर स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ करावें तथा कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
4. जिला कलक्टर यह सन्तुष्टि कर लेवे कि प्रस्तावित नहरें/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यों एव जन सेवाओं के लिए निरन्तर लिया जा रहा है।
5. जिला कलक्टर यह प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करें कि उनके पास उपलब्ध संधारण एवं मरम्मत मद में राशी का उपयोग लिये जाने के उपरान्त ही एस.डी.आर.एफ. का उपयोग लिया जायेगा।
6. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होने आवश्यक है।
7. वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते है, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं है।
8. आवंटित बजट का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चत करें तथा शेष राशि विभाग को अविलम्ब समर्पित की जाए।
9. कार्यों की प्रशासनिक, तकनीकि एवं वित्तिय स्वीकृतियां उपरान्त ही राशि का व्यय नियमानुसार किया जावे।
10. केवल तात्कालिक प्रकृति की मरम्मत एवं पुर्नरूथान के कार्य ही करवाये जावे, जो एस.डी.आर.एफ नोर्म्स में दिये गये प्रावधानुसार हो।
11 इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशो एव परिपत्रों की पालना की जावे।
12 उक्त उपखण्ड समिति के सदस्य द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों का भौतिक निरीक्षण किये जाने के उपरान्त ही जल संसाधन विभाग के कार्यो की स्वीकृति जारी की जावें।

D:\Flood\Flood 2022\Flood 2022 (3).docx

इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2022--23 के निम्न बजट मद से किया जायेगा।

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02– बाढ़, चक्रवात आदि।

122– खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना

(02)--बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता

[01]–[बाढ़ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]

21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रति. राशि रू. 54.18 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 18.06 लाख)

13. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजनाके दिशा–निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
14. बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का आहरण नहीं किया जावेगा।
15. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये सदैव खुले रहेंगे।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
2. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर **सिरोही** को प्रेषित कर लेख है कि **एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार बजट की मांग विभाग से ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप में करें तथा आपके द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक रूप से ऑनलाईन मांग के साथ अपलोड करावें।**
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, आपदा प्रबन्धन, सहायता नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
7. कोष कार्यालय, सिरोही।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग सिरोही

क्रमांकः प.14(12)( )आ.प्र.एवं.सहा./बाढ़/2022/1738   दिनांक 18–10–2022

:: प्रशासनिक स्वीकृति ::

मानसून वर्ष 2022 में बाढ/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त बांध की नहरों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर की स्वीकृति क्रमांकः एफ.8(26)आ.प्र.एवं सहा./प्रस्ताव/बाढ़/2022/12103–109 दिनांक 13.10.2022 एवं विभागीय समसंख्यक दिशा निर्देश पत्रांक 9362–63 दिनांक 26.07.2022 के बिन्दु संख्या 3 की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से निम्नलिखित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैं :–

कार्यकारी ऐजेन्सी– अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही

क.सं.	तहसील	क्षतिग्रस्त स्कीम (बांध एवं नहर) का विवरण	लघु, मध्यम एंव वृहद परियोजना का क्षतिग्रस्त हिस्सा	एस.डी.आर.एफ. नार्म्स अनुसार मरम्मत हेतु आवश्यक राशि (लाखों में)
1	सिरोही	अणगौर बांध मुख्य नहर का मरम्मत कार्य ।	13.10 कि.मी. (मध्यम परि.)	7.86
2		अणगौर बांध के माईनर के मरम्मत कार्य ।	15 कि.मी. (मध्यम परि.)	9.00
3		कामेरी बांध नहर	5.4 कि.मी. (लघु परि.)	1.50
4		घान्ता बांध नहर	6.0 कि.मी. (लघु परि.)	1.50
5	रेवदर	टोकरा बांध की नहर मरम्मत कार्य	(लघु परि.)	1.50
6		उडवारिया बांध की नहर मरम्मत कार्य	(लघु परि.)	1.50
7		करोडीध्वज बांध की नहर मरम्मत कार्य	(लघु परि.)	1.50
8		बुटडी बांध की नहर मरम्मत कार्य	(लघु परि.)	1.50
9		मडार नाला प्रथम बांध के ऑवरफ्लो में मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
10	आबूरोड	गिरवर बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
11	रेवदर	सुकली सेलवाडा बांध की बाई मुख्य नहर मरम्मत कार्य ।	(मध्यम परि.)	10.74
12		सुकली सेलवाडा बांध की दाई मुख्य नहर मरम्मत कार्य ।	(मध्यम परि.)	6.30
13		सुकली सेलवाडा बांध की दाई मुख्य नहर की माईनर नहर मरम्मत कार्य ।	(मध्यम परि.)	5.04
14		सुकली सेलवाडा बांध की बाई मुख्य नहर की माईनर नहर मरम्मत कार्य ।	(मध्यम परि.)	4.02
15	आबूरोड	पश्चिम बनास दाई मुख्य नहर (RMC) मूंगथला व क्यारिया माईनर का मरम्मत कार्य ।	3.50 कि.मी. (मध्यम परि.)	2.10
16		चिनार बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
17		बगेरी बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
18		कुई सांगना बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
19	पिण्डवाडा	पश्चिम बनास बांध की बाई मुख्य नहर (LMC) का मरम्मत कार्य ।	4.8 कि.मी (मध्यम परि.)	2.88
20		पश्चिम बनास बांध की दाई मुख्य नहर (RMC) का मरम्मत कार्य ।	5.50 कि.मी (मध्यम परि.)	3.30
21		कादम्बरी बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
22		सरूप सागर बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
23		भूला बांध की नहर मरम्मत कार्य ।	(लघु परि.)	1.50
			योगः–	72.24

आवश्यक शर्तें–

1. वे नहरें जो Defect Liability Period के तहत आती हैं, उनकी मरम्मत SDRF से देय नहीं हैं।
2. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा उनकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी ।
3. स्वीकृत कार्य वित्तीय स्वीकृति जारी होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ करवाया जावें, कार्य प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में कार्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तात्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके । यदि वित्तीय स्वीकृति जारी होने से पूर्व कोई कार्य प्रारम्भ करा लिया जाता हैं, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यकारी ऐजेन्सी की होगी।
4. कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तावित नहरे/बांध का उपयोग सिंचाई/पेयजल कार्यो एवं जन सेवाओं के लिये निरन्तर लिया जा रहा हैं
   इस आश्य का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।
5. बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के Restoration में यह ध्यान रखा जावें कि परिसम्पत्तियों का तात्कालिक Restoration ही किया जाना हैं, न की नया निर्माण । इस संबंध में कृपया एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स में दिये गये प्रावधानों की आवश्यक रूप से पालना करें।

6 .कार्यकारी संस्था तकनीकी स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करें कि सर्वप्रथम उनके पास उपलब्ध राज्य मद में मरम्मत एवं संधारण हेतु प्रावधित राशि का उपयोग लिये जाने के उपरांत ही एस.डी.आर.एफ. मद की राशि को उपयोग में लिया जायेगा।

7 .कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड सिरोही कार्यो के पूर्णता प्रमाण–पत्र जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता को अवश्य प्रस्तुत करेगें

8. .समस्त कार्य इसी वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण किये जाने आवश्यक हैं। तात्कालिक Restoration के कार्यो से संबंधित देनदारियां आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाने पर उनका भुगतान कार्यकारी संस्था द्वारा स्वयं के बजट मद से किया जाएगा।

9 आपदा के समय करवाये गये कार्यो के बिलों का सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यकारी संस्था के तकनीकी अधिकारी के द्वारा सत्यापन होना आवश्यक हैं, उक्त सत्यापन के अभाव में आपदा के दौरान करवाये गये कार्यो के भुगतान हेतु विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

10. भुगतान बिलों के साथ कार्य संतोषजनक होने एवं एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार होने संबंधी उपखण्ड़ स्तरीय समिति की रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

11. इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावें । व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्न लेखा मद से किया जायेगा–

2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत
02–बाढ चक्रवात आदि
122–खराब सिंचाई तथा बाढ नियंत्रण सम्बन्धी निमार्ण कार्यो की मरम्मत तथा पुनः स्थापना
(02–बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता
[01]-[बाढ से प्रभावित खराब सिंचाई एवं निर्माण हेतु सहायता]
21–अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेस) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75 प्रतिशत राशि रू. 54.18 लाख)
(राज्य निधि 25 प्रतिशत राशि रू. 18.06 लाख)

(डॉ. भंवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1.शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर ।
2.वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर ।
3.उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही/शिवगंज/रेवदर/पिण्डवाडा/आबूरोड/देलदर/आबूपर्वत
4.अधिशासीअभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही को भेजकर लेख हैं कि एसडीआरएफ नॉर्म्स एवं उपरोक्त शर्तानुसार तकनीकी स्वीकृति मय आवश्यक प्रमाण–पत्र इस कार्यालय को शीघ्र प्रस्तुत करें।

अति. जिला कलक्टर एवं सचिव,
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोही